

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2223887, Fax : 0141-2228065

CIN:U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : edepmrmisc-ri@nic.in

Website:www.rmisc.nic.in

No. F-8() RMSC/EPM/15-16/ 1578

Dated: 30/3/16

परिपत्र

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र में काम आने वाले विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों के लिए निविदा जारी की जाकर, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियमों के तहत प्रक्रिया अपनाई जाकर एवं निविदा कार्यवाही की जाकर भिन्न-भिन्न उपकरणों के लिए दरसंविदा की जाती है। वित्तीय विभाग की अधिसूचना के अनुसार निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर फर्मों को 2 प्रतिशत Concessional CST Against C-Form देय है। निगम द्वारा विभिन्न क्रेता अधिकारियों द्वारा उपकरणों की मांग किये जाने पर एवं वांछित राशियां निगम को उपलब्ध कराये जाने पर उपकरणों की आपूर्तियां कराई जाती है। आर.एम.एस.सी. के माध्यम से आपूर्ति कराये जाने पर 5 प्रतिशत की राशि आर.एम.एस.सी. द्वारा सरचार्ज के रूप में वसूल की जाती है।

कतिपय प्रकरणों में यह देखा गया है कि विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के लिए आर.एम.एस.सी. की अनुमोदित दरों पर विभिन्न क्रेता अधिकारियों द्वारा सीधे ही फर्मों को आपूर्ति आदेश जारी किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्रेता अधिकारियों को फर्म को देय CST का पूर्ण भुगतान करना होता है क्योंकि Concessional CST क्रेता अधिकारियों के द्वारा फर्मों को C-Form नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फर्मों को सीधे ही आपूर्ति आदेश दिये जाने में आर.एम.एस.सी. को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति पर मिलने वाले सरचार्ज की 5 प्रतिशत राशि की हानि भी होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आर.एम.एस.सी. की दरसंविदा पर उपलब्ध उपकरणों का आपूर्ति आदेश अनुमोदित फर्मों को सीधा नहीं दिया जाकर, आर.एम.एस.सी. के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करें।



प्रबंध निदेशक

आर.एम.एस.सी.एल.

Dated:

No. F-8() RMSC/EPM/15-16/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. P.S. to PHS, Medical Health & FW Deptt. Rajasthan, Jaipur.
2. P.S. to Mission Director NHM Jaipur.
3. Director, (PH)/(Aids)/(FW)/(RCH)/(IEC)/(ESI)/MSU.
4. Principal, Medical College, Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Jhalawar & Udaipur.
5. Principal R.U.H.S. College of Dental Science Jaipur.
6. Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur.
7. Superintendent Japuriya Hospital Jaipur (Associated with RUHS College of Medical Sciences, Jaipur).
8. Supdt, SMS Hospital, Mahila Chikitsalya/Zenana/Mental/J.K. Lon/T.B & Chest Hospital, Jaipur.
9. Superintendent Associated Group of Hospital-Ajmer, M.G. Hospital, Jodhpur, Ummaid Hospital-Jodhpur, PBM Hospital-Bikaner, MBS Hospital-Kota & A.G. Hospital-Udaipur.
10. Addl. Director, Medical & Health Services (FW)/(RH)/(Hospital Admn.)
11. Joint Director, Medical & Health Services, (Zone) Jaipur, Ajmer, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, Kota & Bharatpur.
12. Guard File.

11
कार्यकारी निदेशक (ईपीएम)
आर.एम.एस.सी.एल.